



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN): L40109RJ2000SGC016485]
Regd. Office: VIDYUT BHAWAN, JANPATH, JYOTI NAGAR, JAIPUR – 302 005.
PHONE NO. 0141-2740381/82 Website: <http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl>

No: RVPN/Karmik/ F. 2(D)1/D. 51

Jaipur, Dated 22/04/19

The ZCE/CE/ACE (),
The Superintending Engineer (),
RVPN,

Sub: Regarding issuance of direction for Appointment of Apprentice who are working in your jurisdiction under Apprentice Act, 1961.

- Ref: 1. Letter No.F.4(12)Energy/2019 dated 25.03.2019 of Dy. Secretary of GoR, Jaipur.
2. Letter No JDT/781 dated 21.02.2019 of Director & Joint Secretary Department of Skills, Employment & Entrepreneurship & Managing Director – R.S.L.D.C., Jaipur.

With reference to above, please find enclosed herewith, copy of Semi-official letter No. JDT/781, dated 21.02.2019 of Director & Joint Secretary- Department of Skills, Employment & Entrepreneurship & Managing Director – R.S.L.D.C., Jaipur regarding appointment of Apprentice under Apprentice Act, 1961, for necessary action.

Encl: As above.

(Amitabh Gupta)
Jt. Director Personnel

Copy to the following for information and necessary action:-

1. The Director & Joint Secretary-Department of Skills, Employment & Entrepreneurship & Managing Director – R.S.L.D.C., Jaipur.
2. Dy. Secretary, Energy Department, GoR, Jaipur.

Jt. Director Personnel 18/4/19



सत्यमेव जयते

निकया गोहाएन, भा.प्र.से.
Ngikya Gohain, IAS



निदेशक एवं संयुक्त सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग एवं
प्रबन्ध निदेशक-आर.एस.एल.डी.सी.
DIRECTOR & JOINT SECRETARY - DEPARTMENT OF SKILLS, EMPLOYMENT &
ENTREPRENEURSHIP & MANAGING DIRECTOR - R.S.L.D.C.

Dear Transporter Sir,

कौशल विकास सचिव
राज्य
जायपुर
दिनांक: 26/2/19

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक: 507/781

दिनांक: 21-02-19

शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत सभी राजकीय एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों जिसमें 40 से अधिक कार्मिक नियुक्त होते हैं, को वेब पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकृत करना तथा युवाओं को शिक्षु नियुक्त कर प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है।

शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत आपके अधीन विद्युत वितरण, प्रसारण एवं उत्पादन से जुड़े प्रतिष्ठानों (JVVNL/AVVNL/JdVVNL/RVPNL/RVUNL) में शिक्षुओं के स्थान निर्धारित किये हुये हैं। जिनमें शिक्षुओं की नियुक्ति की जाती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में उत्तीर्ण होने वाले युवाओं की संख्या अत्यधिक है। इस कारण शिक्षुओं की नियुक्ति हेतु युवा भी उपलब्ध है, परन्तु कुछ जिलों (विशेष रूप से झुंझनू, उदयपुर, प्रतापगढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, जालौर, बाड़मेर, दौसा) में शिक्षुओं की नियुक्ति पूर्ण नहीं की जा रही है। इस कारण शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्थानों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 10.17 पर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान किया जाना एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। अतः शिक्षुओं की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि NAPS योजनान्तर्गत शिक्षुओं को दी जाने वाली वृत्तिका राशि का 25 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1500/- प्रतिशिक्षु प्रतिमाह) पुनर्भरण किया जाता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य में आपके अधीन कार्यरत संबंधित अधिकारियों को शिक्षुओं की नियुक्ति प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु उचित निदेश जारी करने का श्रम करें, ताकि जन घोषणा पत्र में उल्लेखित बिन्दु की पालना हो सके।

(निकया गोहाएन)

श्री नरेश पाल गंगवार,
प्रमुख शासन सचिव एवं अध्यक्ष डिस्कॉम,
जयपुर।

2074
27/2/2019